न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

मिसल संख्या : 1/6/2010 तारीख रजू : . . . .

उनवान . . . . . हुकमसिंह . . . . बनाम . . . . राज० सरकार वगैरा . . . .

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].2.2010	आज यह दावा इस्तकरारहक मशवरे वादीगण की ओर से श्री श्यामसिंह चौहान वकील ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक : 16.03.2010 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
16/3/2010	पत्रावली प्रस्तुत। वकील ~~वादी~~ प्रार्थी उपस्थित। ~~प्रतिवादी~~ की तलबी जारी नहीं की गई है। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की जाकर पत्रावली दिनांक : 12/5/2010 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/5/10	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी जारी नहीं की गई है। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की जाकर पत्रावली दिनांक : 2/6/2010 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
2/6/10	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी जारी नहीं की गई है। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की जाकर पत्रावली दिनांक : 14/7/2010 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14/7/10	बकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब भ्रमण पर है। पत्रावली दिनांक 25/8/2010 को पेश हो। (हस्ताक्षर) पेशकार	
25/8/10	पत्रावली प्रस्तुत। [illegible] की तलबी जारी [illegible] प्रतिवादीगण की [illegible] पत्रावली [illegible] को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10.11.2010	बकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब शिविर में पधारे है। पत्रावली दिनांक 24.11.2010 को पेश हो। (हस्ताक्षर) पेशकार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:17:20 IST
Reason: SelfAttested

Date	Proceedings
13/1/23	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 28/4/23 को पेश हो।
/4/23	मुताबिक संशोधन पी०/P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दिनांक 10/11/23 को पेश हो।
10/11/23	मुताबिक संशोधन पी०/P.O. साहब चुनाव कार्य पत्रावली दिनांक 12/1/24 को पेश हो।
12/1/24	मुताबिक संशोधन पी०/P.O. साहब अन्य कार्य में पत्रावली दिनांक 21/5/24 को पेश हो।
21/5/24	पक्षकार .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रा. ली वास्ते निर्णय प्रतिवादी दिनांक 28/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
28/5/24	पत्रावली पेश हुई बहुलाय हक ... वकील प्रतिवादी को ... पूर्व में दिये जा चुके हैं ... चाहे तो साक्ष्य प्रस्तुत ... की बहस बहुलाय सुनी गई अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्म इम्तनाई स्थाई साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:17:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़	न[illegible] अहल[illegible] की ता[illegible]
	कर खारिज किया जाता है तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो. निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वास्ते [illegible] [illegible] हो [illegible] जाता प्रतिलिपियां [illegible] [illegible] हो [illegible] A[illegible] 20/5/24 SDOR	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:17:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः—1 / 184 / 2013 दायर दिनांकः— 23 / 02 / 2010

जीसीएमएस नं0ः— 2013 / 00606 निर्णय दिनांकः— 28 / 05 / 2024

वउनवान

1. हुकमसिंह पुत्र घसीडा जाति जाट निवासी कारोली
2. नत्थी पुत्र गुन्जी जाति जाट निवासी कारोली

तहसील कठूमर जिला अलवर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मशबरे दवामी अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः—1. श्री देवेन्द्रसिंह नरूका—अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार, तहसीलदार कठूमर

—ःनिर्णयः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:17:20 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 540 रकबा 0.76 हैक्ट0 ग्राम कारोली तहसील कठूमर में स्थित है जिस आराजी के साबिक खसरा नम्बर 198 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा ग्राम कारोली से बना है। उक्त आराजी वादीगण के पूर्वजों की पैतृक आराजी है, जिस पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके

पर विवादित आराजी के काबिज कृषक खातेदार है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियान ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विवादित आराजी का रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा से घटाकर गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में रकबा 0.76 हैक्ट0 दर्ज कर दिया जिसका बन्दोबस्त अधिकारियान कर्मचारियान को कोई हक व अधिकार नहीं था जिस गलत इन्द्राजात से वादीगण के हितों पर विपरीत असर पड रहा है। अतः वादीगण राजस्व रेकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज रकबा 0.76 हैक्ट0 को कलमजन कराकर 5 बीघा 2 बिस्वा (1.28 हैक्ट0) दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण व इनके अधीनस्थ कर्मचारियान से इन्द्राज दुरूस्त करने को कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया गया नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व दावा पेश करने के लिये अलग से धारा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर अदालत श्रीमान से इजाजत ले ली गई है। अतः वादीगण ने दावा मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 12/4/2013 को पैरोकार सरकार ने दावा के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जबाव पेश किया। वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाव के आधार पर वाद में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई –

<u>तनकी सख्याः–1</u> आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 540 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा (1.20 हैक्ट0) वाके ग्राम कारोली बाबत इस्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है––जिम्मे वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:17:20 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी सख्याः–2</u> आया बन्दोबस्त विभाग ने खसरा नम्बर हाल 540 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा को कम करके 0.76 हैक्ट0 दर्ज कर शेष आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया, जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है––

––जिम्मे वादीगण

तनकी सख्याः–3 आया वादीगण प्रतिवादीगण को डिकी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है -- जिम्मे वादीगण

तनकी सख्याः–4 दादरसी

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी डब्ल्यू 1 वादी संख्या 1 हुकमसिंह, पी डब्ल्यू 2 केदार को परीक्षित कराया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी संवत् 2064 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत् 2016 प्रदर्श–4 नक्शा ट्रेस के रूप में प्रदर्शित कराई है। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार तनकी वार निर्णय किया जा रहा है–

तनकी संख्या 1 व 2 समान प्रकृति की होने से इनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। दोनों तनकियों को साबित करने का भार वादीगण पर है बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व दावा वादीगण मुताबिक अनुतोष डिकी करने का निवेदन किया। विद्वान पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने अपनी बहस में अधिवक्ता वादीगण के तथ्यों का विरोध करते हुये अपने जबाव दावा के तथ्यों ,को दोहराते हुये वाद वादी साबित ना होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड प्रदर्श पी–1 से पी–4 व गवाहान के बयानों का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में विवादित आराजी का साबिक खसरा नम्बर 198 मिन रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम कारोली कहीं भी वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी में दर्ज नहीं रही। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एंव साबिक रेवन्यु रिकार्ड से यह भी साबित नहीं है कि बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियान ने विवादित आराजी के रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा (1.28 हेक्ट0) बदल कर रकबा 0.76 हैक्ट0 कर दिया है। वादीगण को तनकी संख्या 1व 2 को अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित करना था कि बन्दोबस्त विभाग ने साबिक रेवन्यु रेकार्ड कों बदल कर विवादित आराजी के रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:17:20 IST
Reason: SelfAttested

5 बीघा 2 बिस्वा को 0.76 हेक्ट0 दर्ज कर दिया है तथा 5 बीघा 2 बिस्वा आराजी साबिक रेवन्यु रेकार्ड में वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज रही है जिसे बन्दोबस्त विभाग ने मनमाने तरीके से बदल दिया। वादीगण विवादित आराजी बाबत हाल राजस्व रिकार्ड में किसी तरह की दुरूस्ती कराने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 1व 2 विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या– 3 को साबित करने का भार वादीगण पर था। तनकी सं0 1व 2 के विस्तृत विवेचन से वादीगण विवादित आराजी बाबत किसी तरह की इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी नहीं पाये गये है। हाल राजस्व रिकार्ड सही है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4– अनुतोष की है

अतः उपर्युक्त विवेचन के अधार पर तीनों तनकियॉ वादीगण के विरूद्व निर्णित हुई है। अतःवादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई आराजी खसरा नम्बर 540 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा (1.28 हेक्ट0) वाके ग्राम कारोली तहसील कठूमर बाबत साबित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:17:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.5.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः–1 / 184 / 2013 | दायर दिनांकः– 23 / 02 / 2010

जीसीएमएस नं0ः– 2013 / 00606 | निर्णय दिनांकः– 28 / 05 / 2024

वउनवान

1. हुकमसिंह पुत्र घसीडा जाति जाट निवासी कारोली
2. नत्थी पुत्र गुन्जी जाति जाट निवासी कारोली

तहसील कठूमर जिला अलवर

डिकीदार

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर ।

मदयूनान्

दावा इस्तकारहक मशबरे दवामी अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई आराजी खसरा नम्बर 540 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा (1.28 हेक्ट0) वाके ग्राम कारोली तहसील कठूमर बाबत साबित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 28.05.2024 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested

28.5.24

(सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)